



# तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय


जनपद-जौनपुर - 222002

पत्रांक- P.B.No: 2062/2024-25

दिनांक 07/08/24

## कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शुल्क पटल पर अपना शुल्क दिनांक 07.08.2024 से शुल्क पटल संख्या- 03 पर शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।


  
संयोजक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

छात्रवृत्ति B


  
लेखाकार

प्रो० (डॉ०) आलोक कुमार सिंह

प्राचार्य  


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० प्रबन्धक जी, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।
2. शुल्क पटल सहायक को इस आशय के साथ निर्देशित कि शिक्षण शुल्क न लिया जाय।
3. कार्यालय अधीक्षक/श्री विजय कुमार मौर्य, क० सहायक को इस आशय के साथ निर्देशित कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें/कराये।




संयोजक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

छात्रवृत्ति

  
लेखाकार

प्रो० (डॉ०) आलोक कुमार सिंह

प्राचार्य  


## प्रवेश हेतु दिशा निर्देश एवं आवश्यक अभिलेख-

- 1- प्रवेश फार्म महाविद्यालय काउंटर से प्राप्त कर आवश्यक सूचना भरकर प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित हो।
- 2-समस्त प्रमाण पत्र (हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति)
- 3-स्नातक अंक पत्र की मूल प्रति न होने की दशा में इंटरनेट से प्राप्त प्रति को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 4-06रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- 5-चरित्र प्रमाण पत्र
- 6-प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र (स्कोर कार्ड) की छाया प्रति
- 7-आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति
- 8- ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है
- 9-काउंसलिंग पत्र प्रवेश के लिए सूचना मात्र है। प्रवेश काउंसलिंग एवं मेरिट के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थियों द्वारा नियत समय पर उपस्थित न होने की दशा में पुनः काउंसलिंग का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 10-प्रमाणपत्रों के अभाव में आपके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 11-प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क लाना अनिवार्य है ।
- 12-आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा।
- 13- ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र-छात्राओं को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है।
- 14- अधिभार (weightage) हेतु दावा प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य है।

प्राचार्य

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर

Dr. Arvind Kumar Singh  
7/11/2017

संयोजक प्रवेश समिति